कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522–234001
E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com
पता– 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र. पिनकोड – 475661
Website- www.datiamedicalcollege.com
&
datiamedicalcollege2018@gmail.com

क्रमांक – 129 /द.चि.म./2021

दतिया, दिनांक – 15/05/2021

//विज्ञप्ति//

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ 2–53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र. में MCI/NMC के मापदण्डानुसार MBBS 3rd **renewal** के लिए **चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत आंतरिक चिकित्सा शिक्षकों के लिए** अनुसूची में दी गई नियम एवं शर्तों के अधीन **निम्नानुसार विज्ञप्ति जारी कर पदोन्नति सीधी भर्ती जारी कर पदपूर्ति की जानी है।**

प्राध्यापक/सह प्राध्यापक के पद हेतु पदोन्नती सीधी भर्ती विज्ञापन रोस्टर

क्र.	विभाग का नाम	प्राध्यापक				सह–प्राध्यापक			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
									1
1	पैथोलॉजी					1			1
2	जनरल मेडीसिन					1			1
3	जनरल सर्जरी					1			
4	पीडियाट्रिक्स					1			
5	डर्मेटोलॉजी					1			
6	ई.एन.टी.					1			
7	एनेस्थिसीयोलॉजी	1				1			
8	रेडियोथेरेपी								
9	डेंटिस्ट्री	1							
	कुल पद	2				7			3

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC= अनुसूचित जाति, ST= अनुसूचित जनजाति, OBC =अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित हैं, UR= अनारक्षित

नोट– 1. आरक्षण संबंधी म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा। पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।

1. वेतनमान – **नियमित नियुक्ति हेतु**

प्राध्यापक – अकादमिक स्तर–14, मैट्रिक्स वेतन– 1,44,200/–
(6 वें वेतनमान 37400–67000+ ग्रेड–पे 10000 + डी.ए. के अनुरूप)

सह प्राध्यापक – अकादमिक स्तर–13, मैट्रिक्स वेतन– 1,31,400/–
(6 वें वेतनमान 37400–67000+ ग्रेड–पे 9000 + डी.ए. के अनुरूप)

टीप – समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

Scanned with CamScanner

आयु सीमा –

		न्यूनतम	अधिकतम
प्राध्यापक	–	35 वर्ष	62 वर्ष
सह प्राध्यापक	–	30 वर्ष	62 वर्ष

टीप –आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. **यह पद आंतरिक उम्मीदारों के लिए हैं, बाहरी उम्मीदारों के आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं किए जाएँगे।**

4. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।

- **जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर एवं म.प्र. शासन द्वारा घोषित आरक्षित जातियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा ।**

5. **अर्हताये :–**

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्/राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।

6. **निरर्हतायें–**

5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।

5.2 दुष्चरित्र होने पर।

5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

5.5 विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

5.7 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

5.9 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

7. **स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो पदोन्नति सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो विज्ञप्ति पद के विरूद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा ओर ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की बाध्यता नहीं होगी।**

8. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्त्तव्यों का तथा समय–समय पर सौपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

9. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा।

10. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष, जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवायें देनी होगी । आवेदक को इस बाबत् सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष का वेतन /मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी ।

11. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :** शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया, म.प्र. में आवेदन पत्र **दिनांक 10/05/2021 सायं 05:30 बजे** तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डाक द्वारा, अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय से पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

12. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.datiamedicalcollege.com एवं www.medicaleducation.mp.gov.in पर भी देखे जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण टीप :–यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले ओर अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया, म.प्र.

Scanned with CamScanner